न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 102/2016

1– मोहन पुत्र छगना वयस्क
2– प्रभुलाल पुत्र छगना वयस्क
3– नारू पुत्र श्री छगना वयस्क
4– रामप्रसाद पुत्र छगना वयस्क
5– उगमा पुत्र लाडू वयस्क
6– पोखर पुत्र श्री लाडू वयस्क
7– भंवर पुत्र श्री लाडू वयस्क
8– राजु पुत्र श्री लाडू वयस्क
9– पारस पुत्र सुरजमल
10– ताराचन्द पुत्र शंकर
11– रामदेव पुत्र शंकर
12– सुगना पुत्र मांगु
वादी संख्या 9 से 12 वारिस काबिज जायदाद स्व. श्री मांगु पुत्र नाथु
13– सोहन पुत्र हीरा वयस्क
14– मोहन पुत्र हीरा वयस्क
15– रामेश्वर पुत्र हीरा वयस्क
16– पप्पू पुत्र श्री हीरा वयस्क
17– लालचन्द पुत्र श्री हीरा वयस्क
वारिस काबिज जायदाद स्व. हीरा पुत्र नाथु
18– गोकल पुत्र नाथु
19– चान्दमल पुत्र मादू
वारिस काबिज जायदाद माधु पुत्र नाथु
20– रामेश्वर पुत्र बाबू
21– पुखराज पुत्र बाबु
22– पुखराज पुत्र बाबु वयस्क
23– धर्मीचन्द पुत्र बाबु वयस्क
वारिस काबिज जायदाद बाबु पुत्र नाथु
24– मंगला पुत्र पूसा
25– गोपाल पुत्र पूसा
26– बीजा पुत्र घासी

वारिस काबिज जायदाद स्व. घासी पुत्र रामा सभी जाति रेगर, निवासी ग्राम चावण्डिया, भू.अ.नि. क्षेत्र जामोला, तहसील मसूदा, जिला–अजमेर

———वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर
2– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.5.18

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम चावण्डिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जामोला, तहसील मसूदा जिला अजमेर के खसरा संख्या 277 रकबा 27–15–00 किस्म बा. 3 में वादीगण के पूर्वज सर्वश्री छगना, लाडु पि. हजारी व

———लगातार

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

मांगु, हीरा गोकल, मादू, बाबू पि. नाथू व घासी वल्द रामा बहिस्से बराबर 1/2 हिस्से से खातेदार होकर जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे हैं। वादीगण का सजरा पद संख्या 3 में अंकित है। विवादित आराजी में वादीगण के उक्त बुजुर्गान की खातेदारी के प्रमाण स्वरूप पर्ची नोटिस भी उनके नाम जारी किया गया था लेकिन सेटलमेंट के बाद जो सफाई खतौनी अर्थात वर्किंग जमाबन्दी कायम की गई उसमें संहवनसे विवादित आराजी को वादीगण के नाम नहीं लगाया गया है। सेटलमेन्ट कर्मियों को सफाई खतौनी से वादीगण के बुजुर्गो के नाम हटाने के अधिकारी नहीं थे उन्होंने गैरकानूनी रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह कृत्य किया है जिसकी दुरूस्ती करवाकर वादीगण विवादित आराजी में अपने नाम लगवाने के साधिकार अधिकारी हैं। विवादित आराजी वादीगण की अन्य खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियों के मध्य स्थित है और वादीगण एवं उनके बुजुर्गान इस पर वर्तमान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मुलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद यदि विवादित आराजी बाबत् कोई इन्द्राजात अभिलेख पर किये गये हैं तो वादीगण उनसे बाध्य नहीं है व वादीगण एवं उनके बुजुर्गो के अधिकारों पर सर्वथा प्रभावशून्य है तथा ऐसे इन्द्राजात अपास्त योग्य है। सेटलमेंट कारकूनों तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे चारागाह नाम से दर्ज कर दिया गया है जिसे चारागाह से कम करवाकर वादीगण इसमें खातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजी में इस वर्ष संवत् 2073 खरीफ में वदीगण ने मूंग, ज्वार एवं बाजरे की काश्त की है जिसे लेकर प्रतिवादी संख्या 2 के कारकूनों ने वादीगण को हिदायत दी है कि आप अपना कब्जा छोड़ो। इस कारण वाद लाने की आवश्यकता हुई और दिन प्रतिदिन उत्पन्न होती जा रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी में वादीगण के बुजुर्गान/वादीगण वर्तमान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मुलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व काबिज काश्त चले आते हैं एवं विवादित आराजी बाबत् जो पश्चातवर्ती इन्द्राजात हुए हैं वो वादीगण उनके बुजुर्गान के अधिकारों पर प्रभावशून्य हैं तथा वादीगण विवादित आराजी में साधिकार खातेदार काश्तकार हैं। बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनकी एजेन्सी द्वारा विवादित चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें ना ही कार्यवाही बेदखली आदि करें या करावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय मुनासिब समझे दिलवाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट जवाब में कथन किए हैं कि ग्राम चावण्डिया का खसरा संख्या 277 रकबा 27–15–10 किस्म बा.3 रेकार्ड में चरागाह दर्ज हैं। इस प्रकार वाद में वर्णित आराजी पर वादीगण विभिन्न वर्षो में अवैध अतिक्रमण करके उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवाना चाहता है, जबकि यह भूमि किस्म चरागाह दर्ज होने के कारण प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आने से नियमन नहीं की जा सकती है।

उभयपक्षान की बहस सुनी गई जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीं संख्या 2 के कथन कमोबेश उनके वादपत्र एवं जवाब वादपत्र अनुसर ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम चावण्डिया की जमाबन्दी संवत् 2022–25 के खाता संख्या 1 आंशिक में खसरा संख्या 185/1 रकबा 00–14–05–00 बंजड़ मिल्कियत सरकार के नाम तथा खाता संख्या 243 आंशिक में ख.सं. 185/2

————लगातार

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

रकबा 44–05–00 बा.3 चारागाह पंचायत क्षेत्र सतावड़िया के अधीनस्थ चारागाह भूमियां दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 158 आंशिक रकबा 58–05–00 के हाल खसरा नम्बर 277 रकबा 27–15–00 बनना पाया गया। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2043 व 2047 में खसरा संख्या 277 पर छगना पुत्र हजारी उगमा पुत्र लाडू वगैरह का नाम अंकित है व इसी में आगे धारा 91 के तहत रिपोर्ट होना भी अंकित है। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2061 में खसरा नम्बर 277 रकबा 05–11–00 प्रभु पुत्र छगना के नाम अंकित होना पाया गया। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 332 खसरा संख्या 277 रकबा 27–15–00 चरागाह एवं आबादी दर्ज है। समय–समय पर प्रार्थीगण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व व उसके पश्चात् वादीगण कभी भी खातेदार दर्ज नहीं रहा है, बल्कि प्रारंभ से ही चारागाह भूमियां दर्ज रहीं है। वादीगण एवं उनके पूर्वज अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहे हैं जिसे तहसीलदार मसूदा ने समय–समय पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म चारागाह है जो प्रतिबन्धित श्रेणी में जिसका नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता है एवं ना खातेदारी अधिकार घोषित किये जा सकते हैं। उक्त चारागाह भूमियों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी प्रतिबन्धित श्रेणी में माना है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 16:26:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: